न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
254 / 2024 / प्रार्थना पत्र	2024 / 373	04.07.2024	17.12.2025

अनवान

श्रेया गोखरू पुत्री सुनील कुमार जैन निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– मिश्री पिता छोगा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कैलाश पिता छोगा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– लाला पिता छोगा मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– घीसा पिता माधू मीणा निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा –अभिभाषक प्रार्थीगण
विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 –एकतरफा कार्यवाही
विपक्षी संख्या 06 –राज्य पक्ष पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :– ग्राम कादीसहना प.ह. कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 731 व पुराना 696 में आराजी नं. 1048 रकबा 0. 34 है. आराजी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में दर्ज होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजी सं. 1048 पर पहुंचने के लिये बिलानाम सरकार आराजी सं. 1060 गै.मु. रास्ता से विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 की आराजी सं. 1059 तथा विपक्षीगण नं. 06 के खाता सं. 01 में वर्णित आराजी सं. 1045, 1046 की मध्य की मेर से होते हुए विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 की आराजी सं. 1059 एवं विपक्षीगण नं. 04 की आराजी सं. 1047 के मध्य की मेर से होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी पर पहुंचता है। विपक्षीगण नं. 05 के यहां विपक्षीगण नं. 04 की आराजी रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। पैरा नं. 02 में वर्णित एक मात्र रास्ता प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये है। इसी रास्ते का उपयोग कर प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने, कृषि उपकरण लाने ले जाने, फसल लाने ले जाने हेतु, हंकाई बुवाई हेतु ट्रेक्टर लाता ले जाता रहा है। परन्तु विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 के द्वारा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण आये दिन रास्ते बाबत् विवाद करते है तथा उक्त रास्ते को विपक्षीगणों ने कांटों की बाड़ लगाकर पूर्ण रूप से अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहा है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 के द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिये जाने पर प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 को ओलम्बा दिया तो विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 ने कहा कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है, इस कारण से रास्ते का उपयोग नहीं करने एवं जाली खम्बे कर रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी दी। उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने हेतु एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

अन्य वैकल्पिक रास्तों की अनुपलब्धता के कारण इस रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ता ही लघुतम रास्ता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी का अपनी आराजी पर पहुंच कर काश्त किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजी को काश्त करने से वंचित हो रहा है, वर्तमान में रास्ता पूर्ण रूप से बन्द कर देने से प्रार्थी अपने खेत की हंकाई भी नहीं कर पा रहा है न ही अपने खेतों पर जा पा रहा है। प्रार्थी का उपरोक्त पैरा नं. 02 में वर्णित एक मात्र रास्ता होकर लघुतम मार्ग है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यक है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित रास्ते को 20 फिट चोड़ाई तक राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहता है, जिसके लिये उक्त रास्ते की भूमि का प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी पहुंचने हेतु पैरा नं. 02 में वर्णित अनुसार 20 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार राशि जमा कर, दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश विपक्षीगण नं. 06 को प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें नियत पेशी दिनांक 14.08.2024 को रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 बावजूद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पर्याप्त समय गुजर जाने के बावजदू विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। तहसीलदार शहापुरा के पत्रांक 334 दिनांक 02.06.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे दिनांक 12.06.2025 को रेकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। प्रकरण दिनांक 06.08.2025 को वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 26.08.2025 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना जाकर स्वीकार किया गया। प्रकरण संशोधन अनवान प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 17.10.2025 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा संशोधन अनवान प्रस्तुत किया गया। बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक आमली कलां की नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी के आराजी नम्बर 1048 में पहुंचने हेतु मौके पर बिलानाम आराजी नम्बर 1045, 1046 की 1059 के लगायत मेड़ पर रास्ता निकल रहा है। आराजी नम्बर 1047 व 1059 के बीच की मेड़ पर खम्भे जाली लगी हुई है। मौके पर उक्त भूमि पर रास्ता नहीं निकल रहा है। मौके पर आराजी नम्बर 1059 में छोटू पिता छोगा मीणा तथा आराजी नम्बर 1047 पर सियाराम पिता माधु मीणा भीमराज पिता गोपाल मीणा का कब्जा काश्त है जो खातेदार के आपस में परिवारजन है। मौके पर आराजी नम्बर 1048 पर पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 1048 पर पहुंच हेतु लघुतम रास्ता है। मौके पर छोटू पिता छोगा मीणा ने बताया कि उसकी आराजी नम्बर 1059 में आधा रास्ता प्रस्तावित किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

भू0अ0निरीक्षक आमली कलां द्वारा ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना स्थित विपक्षीगण संख्या 04 की कृषि आराजियात 1047 रकबा 0.67 है. में से 0.0144 हैक्टेयर (48 मीटर गुणा 3 मीटर/144 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 की आराजी संख्या 1059 रकबा 0.24 है. में से 0.0297 हैक्टेयर (99 मीटर गुणा 3 मीटर/297 वर्ग मीटर) भूमि तथा बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1045 रकबा 1.04 है. में से 0.0030 हैक्टेयर (10 मीटर गुणा 3 मीटर/30 वर्ग मीटर) भूमि एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1046 रकबा 0.24 है0 में से 0.0129 है. (43 मीटर गुणा 3 मीटर/129 वर्ग मीटर) इस प्रकार कुल किता 4 रकबा 0.0600 है. (600 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति जताई

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :- प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होना बताया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता के अभाव है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निर्बाध अवागमन के लिए निकटतम/सुगमतम रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि :-

वाके ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 04 की कृषि आराजियात 1047 रकबा 0.67 है. में से 0.0144 हैक्टेयर (48 मीटर गुणा 3 मीटर/144 वर्ग मीटर) भूमि एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 की आराजी संख्या 1059 रकबा 0.24 है. में से 0.0297 हैक्टेयर (99 मीटर गुणा 3 मीटर/297 वर्ग मीटर) भूमि तथा बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1045 रकबा 1.04 है. में से 0.0030 हैक्टेयर (10 मीटर गुणा 3 मीटर/30 वर्ग मीटर) भूमि एवं बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 1046 रकबा 0.24 है0 में से 0.0129 है. (43 मीटर गुणा 3 मीटर/129 वर्ग मीटर) इस प्रकार कुल किता 4 रकबा 0.0600 है. (600 वर्ग मीटर) भूमि की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0144 है0 को आराजी नम्बर 1047 रकबा 0.67 हैक्टेयर एवं 0.0297 है0 को आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.24 है0 तथा 0.0030 है0 को आराजी नम्बर 1045 रकबा 1.04 है0 , 0.0129 है0 करे आराजी नम्बर 1046 रकबा 0.24 है0 में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा